



संख्या-21

185वां सत्र

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017

12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

- 1 अल्पसूचित प्रश्न
- 2 तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

- 3 सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
- 4 सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

- 5 श्री राजकिशोर सिंह 'कुशवाहा', सीतामढ़ी जिले में ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अध्वारा रिवर प्रोजेक्ट के लिए कराये गये कार्यों के बदले राशि के भुगतान में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 6 श्री हीरा प्रसाद बिन्द, हिलसा शहर के दोनों ओर बाईपास पथ निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 7 श्री सी.पी.सिन्हा, नौबतपुर-मसौड़ी पथ पर पितमास गांव के पास पुनपुन नदी पर पुल के चौड़ीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 8 डा. रणवीर नंदन, गर्दनीबाग अस्पताल के बगल स्थित कूड़ा डम्पिंग यार्ड को हटाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 9 डा. रामवचन राय, राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड 3एम/222 दीघा, पटना पर दखल कब्जा दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 10 श्री रजनीश कुमार, राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
- 11 श्री दिलीप कुमार चौधरी, मधुबनी जिले के 31 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

12. श्री कृष्ण कुमार सिंह, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा चिन्हित 123 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
13. श्री अर्जुन सहनी एवं श्री सुमन कुमार, दरभंगा जिले के तारालाही एस.एच.-50 से सुक्की महुआ-103 के बीच पथ निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

14. श्री कृष्ण कुमार सिंह के, इडिया पावर कॉरपोरेशन, बोधगया लिमिटेड को गया जिले में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन से मुक्त कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य
15. श्री दिनेश प्रसाद सिंह के, मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य
16. श्री राजकिशोर सिंह 'कुशवाहा' के, रोहतास जिले के नासरीगंज थाना कांड संख्या-32/17 की उच्चस्तरीय जांच कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य


वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

17. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

वित्तीय कार्य

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

18. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो।
19. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पारित हो।
20. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।


28.3.17

(सुनील कुमार पंवार)


सचिव

बिहार विधान परिषद्

दिनांक-28.3.2017

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 07/2017- 446(3) वि.प.

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रीगण/माननीय मुख्यमंत्री के आवास/मुख्यमंत्री सचिवालय (दस प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवास एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम/ लोकायुक्त, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


28.3.2017

(शम्भू शरण तिवारी)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्